प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 1589/2024

निर्णय सुरक्षित : 06.03.2025

निर्णय पारित : 09.06.2025

मनोज कुमार अग्रवाल, पिता- जयराम अग्रवाल, आयु- लगभग 32 वर्ष, निवासी- ग्राम- पुसौर, थाना- पुसौर, जिला- रायगढ़, छ. ग., वर्तमान पता- कालिंदीकुंज, चौकी- जुटमिल, जिला- रायगढ़, छ. ग.

--- अपीलार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना प्रभारी, थाना- पुसौर, जिला- रायगढ़, छ. ग.

2. **XYZ** शून्य

--- प्रत्यर्थी

दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 706/2024

XYZ शून्य **--- आवेदक**

बनाम

1. मनोज कुमार अग्रवाल, पिता- जयराम अग्रवाल, आयु- लगभग 32 वर्ष, निवासी- ग्राम- पुसौर, थाना- पुसौर, जिला- रायगढ़, छ. ग., वर्तमान पता- कालिंदीकुंज, चौकी- जुटमिल, जिला- रायगढ़, छ. ग.

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना प्रभारी, थाना- पुसौर, जिला- रायगढ़, छ. ग.

--- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : दाण्डिक अपील सं. 1589/2024 में श्रीमती फौजिया मिर्जा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री सूरज जैसवाल, अधिवक्ता तथा दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 706/2024 में श्री टी. के. झा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : दाण्डिक अपील सं. 1589/2024 में उत्तरवादी सं. 2 की ओर से श्री टी. के. झा, अधिवक्ता सह श्री तपन कुमार चंद्रा तथा दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 706/2024 में आवेदक की ओर से श्रीमती फौजिया मिर्जा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री सूरज जैसवाल

राज्य की ओर से : श्री किशन लाल साहू, उप शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास

सीएवी निर्णय

1. चूँकि दोनों प्रकरणों के विवाद्यक प्रथम सूचना प्रतिवेदन से उद्भूत हो रहे हैं, अतः उनकी सुनवाई एक साथ की जा रही है तथा इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अब से, 'अ.जा./ज.जा. अधिनियम, 1989') की धारा 14-क(1) के तहत यह दाण्डिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा भा.द.वि. की धारा 376(2)(ढ), 506 भाग **II** और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अब से '1989 का अधिनियम') की धारा 3(2)(फ), 3(1)(द) के तहत उसके विरूद्ध आरोप विरचित करने वाले 03.08.2024 दिनांकित आदेश (अनुलग्नक **A**-1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है।

3. **संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :-**

(क) 01.11.2022 को पीड़िता द्वारा थाना पुसौर में एक लिखित रिपोर्ट दी गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह 24.01.2009 को अपीलार्थी से रायगढ़ में एक बैडमिंटन प्रतियोगिता में मिली थी। उसके बाद वे एक-दूसरे से बात करने लगे। जनवरी, 2012 में अपीलार्थी द्वारा बुलाए जाने पर, वह पुसौर गई, अपीलार्थी उसे अपने घर ले गया और यह कहते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया कि वह उससे शादी करेगा। इसके बाद, उसके प्रतिरोध के बाद भी, उसने कई अवसरों पर जयपुर, पहाड़गंज, दिल्ली, पुरी आदि जैसे विभिन्न स्थानों में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। 2018 में नवंबर के महीने में जब उसने गर्भधारण किया तो अपीलार्थी ने दवा देकर उसका गर्भपात कराया था। इसके बाद, 09.02.2019 को अपीलार्थी ने दूसरी लड़की से विवाह कर लिया, यद्यपि, उसने पीड़िता के साथ संबंध जारी रखा। जब पीड़िता फिर से गर्भवती हुई तो अपीलार्थी ने फिर से उसका गर्भपात करा दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि 01.03.2022 को अपीलार्थी उसे महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर ले गया जहाँ अपीलार्थी ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी कर ली और जब वह गर्भवती हुई तो अपीलार्थी ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसकी जाति के नाम पर दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उसकी जाति के लोग उसके समाज में सफाईकर्मी हैं। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने पीड़िता को लगभग 11 माह तक किराए के घर में अपनी पत्नी के रूप में रखा और तत्पश्चात् उसने उसे घर का किराया देना बंद कर दिया, उसके बाद इस घटना की जानकारी पीड़िता ने अपनी बहन को दी, फिर अपीलार्थी ने उसके साथ मारपीट की। रिपोर्ट के आधार पर, भा.द.वि. की धारा 376 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और अन्वेषण के दौरान, 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(ख), 3(2)(5) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6 के तहत अपराध भी जोड़ा गया है।

(ग) अन्वेषण पूर्ण होने के बाद उपरोक्त धाराओं के तहत अभियोग- पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि बलात्कार की कथित पहली घटना पॉक्सो अधिनियम, 2012 के लागू होने से पहले की गई थी इसलिए वह अधिनियम लागू नहीं होता, अतः उसने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत आरोपों को निरस्त करने का अनुरोध किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने 05.07.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से इस आवेदन को खारिज कर दिया है। इस आदेश से व्यथित होने के कारण अपीलार्थी ने दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 914/2023 प्रस्तुत किया जिसे इस न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने की सीमा तक आदेश अपास्त कर दिया गया तथा विचारण न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभियोग- पत्र में उपलब्ध सामग्री के आधार पर अगली नियत तिथि को या यथाशीघ्र विधि के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप फिर से विरचित करने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय ने अपने 10.05.2024 दिनांकित आदेश के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त उन्मुक्त किए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज करते हुए आदेश की पुष्टि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) इसके बाद विद्वान विचारण विचारण ने 03.08.2025 दिनांकित आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 376(2)(ढ), 506 तथा अ.जा./ज.जा. अधिनियम की धारा 3(2)(फ), 3(1)(द) के तहत आरोप विरचित किए।

4. बलात्कार के अपराध और अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध के लिए आरोप विरचित किए जाने से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण अपीलार्थी ने यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है जबकि पीड़िता ने पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप विरचित नहीं किए जाने के कारण दाण्डिक पुनरीक्षण (आवेदन) प्रस्तुत किया है।

<u>दाण्डिक अपील सं. 1589/2024 2024 में अपीलार्थी का तथा दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 706/2024 में उत्तरवादी सं. 2 का निवेदन</u>।

5. दाण्डिक अपील सं. 1589/2024 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह निवेदन करती हैं कि दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 914/2023 में इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने अपीलार्थी के विरूद्ध विरचित आरोपों को अपास्त कर दिया है और अभियोग- पत्र में उपलब्ध सामग्री पर विधि के अनुसार आरोपों को फिर से विरचित करने के लिए मामले को विचारण न्यायालय वापस भेज दिया है। आगे वे निवेदन करती हैं कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दाण्डिक विविध याचिका 429/2024 प्रस्तुत किया गया था जिसे 15.06.2024 को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे निवेदन करती हैं कि अभियोग-पत्र के परिशीलन से भा.द.वि. की धारा 376(2)(ढ), 506 भाग-II तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2)(फ), 3(1)(द) के तहत कोई प्रकरण नहीं बनता है और अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। आगे उनका निवेदन है कि घटना के समय पीड़िता वयस्क महिला थी और उसे संबंध के फायदे और नुकसान की जानकारी थी। आगे उनका तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा कराए जा रहे गर्भपात के संबंध में पूरे अभियोग- पत्र में कोई साक्ष्य नहीं है और जब अपीलार्थी ने शादी के लिए अपनी अनिच्छा दर्शाई तो पीड़िता ने उसके विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करा दिया।अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क करती हैं कि यदि आरोप- पत्र के पूरे अंकित मूल्य पर विचार किया जाता है, तो अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित करने के लिए भा.द.वि. की धारा 375 के तहत अपराध के तत्व नहीं बनते हैं। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करती हैं कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप तथा विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित पीड़िता का कथन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस संबंध में तथ्य की कोई गलत अवधारणा नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा विवाह के वादे अथवा पीड़िता की सहमति विवाह के कपटपूर्ण गलत निरूपण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर आधारित थी जिसे अपीलार्थी शुरू से ही पूरा नहीं करना चाहता था तथा भा.द.वि. की धारा 90 के अंतर्गत, क्षति के डर से दी गई सहमति विधि की दृष्टि में सहमति नहीं है। पीड़िता द्वारा दी गई सहमति स्वेच्छा से लंबे समय तक सोच- समझकर विरोध न करने के लिए एक सचेत सकारात्मक कार्रवाई के साथ दी गई थी। आगे उनका तर्क है कि अ.जा./ज.जा अधिनियम की धारा 3(2)(ढ) के अनुसार ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी ने केवल इस तथ्य के कारण अपराध किया है कि पीड़िता अनुसूचित जाति समुदाय से थी।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क करती हैं कि पीड़िता के कथन से, बलात्कार की घटना जनवरी, 2012 की है और पॉक्सो अधिनियम को 19.06.2012 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है और इसे 09.11.2012 दिनांकित अधिसूचना सं. एस. ओ. 2705(**E**) के अनुसार 20.06.2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा पोक्सो अधिनियम 14.11.2012 से प्रभावी हुआ। अतः इस अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे में अपीलार्थी के विरूद्ध पॉक्सो अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित नहीं किया जाना वैध तथा न्यायसंगत है और उसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और वे दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 706/2024 के सी. आर. आर. संख्या को खारिज करने की प्रार्थना करती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करती हैं कि थाना प्रभारी, पुसौर, जिला- रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत 16.06.2023 दिनांकित पत्र जिसके अनुसार अपीलार्थी की जन्म तिथि के संबंध में एक जांच की गई थी, स्कूल रजिस्टर और अन्य सुसंगत दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी की जन्म तिथि 02.07.1995 पाई गई थी जो दर्शाती है कि अपराध कारित होने के दिनांक को अपीलार्थी एक बालिका थी, अतः अधिकारिता वाले किशोर बोर्ड के समक्ष कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश पारित किया जा सकता है और इस प्रकार वह आक्षेपित आदेश को रद्द कर दाण्डिक अपील को स्वीकार

करने की प्रार्थना करती हैं। अपने तर्कों के समर्थन में वह **धुरवाराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019 (18) एस. सी. सी. 191, प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एल. एन. आई. एन. डी. 2019 एस. सी. 668, मंदार दीपक पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2022 लाइव लॉ (एस. सी.) 649 तथा मल्लिकार्जुन देसाई गौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 8** के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यालालय के निर्णयों का उल्लेख करती हैं।

<u>दाण्डिक अपील सं. 1589/2024 में उत्तरवादी सं. 2 तथा दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 706/2024 में आवेदक के निवेदन</u>।

8. उत्तरवादी सं. 2/पीड़िता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष के अनुसार अपराध जनवरी, 2012 में प्रारंभ हुआ था तथा 12.10.2022 तक जारी रहा, अप्रासवय के साथ बलात्कार का अपराध जारी रहा और अपराध कारित होने का अंतिम दिनांक 12.10.2022 था। उस समय अभियुक्त 18 वर्ष का हो गया था, अतः किशोर होने के संबंध में तर्क पोषणीय नहीं है। वह **एस. एल. पी. (क्रीमिनल) सं. 8628/2019** में प्रतिवेदित **विकास चौधरी बनाम दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र** राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख करती हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निरंतरता वाले अपराध में अपराध करने की अंतिम तिथि पर विचार किया जाना है और उस दिनांक को यदि अभियुक्त 18 वर्ष की वर्ष प्राप्त कर चुका था तो वह किशोरवय होने के लाभ का दावा नहीं कर सकता है और अपील को खारिज करने की प्रार्थना करती हैं। पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप विरचित नहीं किए जाने के संबंध में उत्तरवादी सं. 2/ पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता तर्क करते हैं कि दाखिल- खरीज रजिस्टर के अनुसार, पीड़िता की जन्म तिथि 30.11.1995 है और जनवरी, 2012 में उसकी उम्र 17 वर्ष 1 महीना था और अभियुक्त ने मई, 2022 तक उसका शोषण किया। आगे उनका तर्क है कि पॉक्सो अधिनियम 14.11.2012 से प्रभावी हुआ और **<u>14.11.2012 से 30.11.2012 तक पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी</u>**, ऐसे में पॉक्सो अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप विरचित न कर अवैधता कारित की है। आगे उनका निवेदन है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या की है, अतः विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है और आदेश को रद्द करने हेतु प्रार्थना करते हैं।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क करते हैं कि सम्यक् अन्वेषण के बाद उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप- पत्र प्रस्तुत किया गया है और प्रथम दृष्टया, एकत्र की गई सामग्री अपीलार्थी का विचारण करने हेतु पर्याप्त है। आगे उनका निवेदन है कि पीड़िता के कथन तथा अपीलार्थी की भूमिका के अनुसार विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत सही आरोप विरचित किए हैं। आगे उनका तर्क है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं बनता है। वह आगे तर्क करते हैं कि आरोप- पत्र को रद्द नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब अभियुक्त का विचारण करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, और अपील को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं। जहां तक पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप विरचित करने की बात है, उनका तर्क है कि क्या अपराध पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अधिनियमन से पहले किया गया था ताकि पॉक्सो अधिनियम, 2012 में उल्लिखित अपराध को बाहर रखा जा सके, यह साक्ष्य का विषय है जिसे इस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णित नहीं किया जा सकता है और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप विरचित नहीं किए जाने के संबंध में 03.08.2024 दिनांकित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करते हैं तथा मामले को विचारण न्यायालय में पहले आरोप विरचित किए जाने के लिए भेजने की प्रार्थना करते हैं और अभियोजन पक्ष को इस पहलू पर साक्ष्य पेश करने की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना करते हैं कि क्या पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध बनता है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है।

11. पक्षकारों द्वारा किए गए व्यापक निवेदनों से, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने हेतु निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं-

(i) क्या विचारण न्यायालय का अपीलार्थी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 376(2) (ढ), 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (द), 3 (1) (फ) के तहत अपराध कारित किए जाने का आरोप विरचित करना न्यायसंगत था?

(ii) प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत आरोप विरचित नहीं किया जाना न्यायसंगत था या नहीं?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. चूँकि दोनों विवाद्यक आपस में जुड़े हुए हैं, अतः उनका निपटारा इस न्यायालय द्वारा समान रूप से किया जा रहा है।

13. अभियोग- पत्र और प्रकरण की डायरी (केस डायरी) से यह बिलकुल स्पष्ट है कि परिवादी ने 01.11.2022 को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह वर्ष 2009 में अपीलार्थी के संपर्क में आई थी और कुछ समय बाद वर्ष 2012 में अपीलार्थी ने उसे शादी के बहाने पुसौर बुलाया, जिसके बाद वह जशपुर से पुसौर में उसके घर गई जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद वह उसे जयपुर, पहाड़गंज, दिल्ली, पुरी आदि विभिन्न स्थानों पर ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हुई, तो अपीलार्थी ने दवा उपलब्ध कराकर पीड़िता का गर्भपात करा दिया। अभिलेख से यह पता चलता है कि परिवादी ने वर्ष 2022 में गर्भावस्था के बारे में भी आरोप लगाया है और अपीलार्थी ने यह कहते हुए उसकी मांग में सिंदूर भरा कि वह उससे विवाह करेगा। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है

कि कुछ व्यक्तिगत तस्वीरें अपीलार्थी के पास हैं। शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया है। उपरोक्त तथ्यात्मक समुच्चय पर, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तर्क करते हैं कि कथित घटना जनवरी, 2012 में घटित हुई है इसलिए पॉक्सो अधिनियम लागू नहीं होगा, गलत धारणा वाला तथ्य है और अस्वीकार किए जाने के योग्य है। अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में साक्ष्य भी एकत्र किए हैं जिन पर साक्ष्य दर्ज करते समय विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है, अतः इस स्तर पर इस सुस्थापित विधिक स्थिति को देखते हुए कि दाण्डिक विधि को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, यह नहीं माना जा सकता है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लागू नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. प्रकरण के अभिलेख से स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस न्यायालय ने 10.05.2024 को दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 914/2023 को 05.07.2023 दिनांकित आदेश के विरुद्ध स्वीकार किया है जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित किया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप से उन्मुक्त किए जाने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया है। अस्वीकृति के इस आदेश की इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है जिसमें इस न्यायालय ने आरोप को फिर से विरचित करने का निर्देश दिया है और इस न्यायालय ने आरोप को हटाने का निर्देश नहीं दिया है अपितु विचारण न्यायालय को आरोपों को फिर से विरचित करने का निर्देश दिया गया है। विचारण न्यायालय ने इस न्यायालय के आदेश पर विचार किए बिना पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप विरचित न कर अवैधता कारित की है।

15. यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन सभी आरोपों का विश्वकोश (इनसाइक्लोपीड़िया) नहीं है, अतः यह परीक्षण करने के लिए कि क्या एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन संज्ञेय अपराध के कारित होने का खुलासा करता है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह अधिग्रहण में कोई चूक नहीं है, परन्तु यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया कुछ संज्ञानात्मक अपराध किया गया है या नहीं। **2024 आई. एन. एस. सी.**

772 में प्रतिवेदित सोमजीत मलिक बनाम झारखंड राज्य व अन्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने कण्डिका 18 और 19 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> 18. यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन सभी आरोपों का विश्वकोश (इनसाइक्लोपीड़िया) नहीं है, अतः यह परीक्षण करने के लिए कि क्या एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन संज्ञेय अपराध के कारित होने का खुलासा करता है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह अधिग्रहण में कोई चूक नहीं है, परन्तु यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया कुछ संज्ञानात्मक अपराध किया गया है या नहीं। इस स्तर पर, न्यायालय को यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध किया गया है। अन्वेषण के बाद, आरोप विरचित करते समय, जब अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री न्यायालय के समक्ष होती है, तो न्यायालय को इस पर विचार करना होता है कि किस अपराध के लिए अभियुक्त का विचारण किया जाना चाहिए। इससे पहले, यदि संतुष्ट हो तो, न्यायालय अभियुक्त को आरोपमुक्त भी कर सकती है। इस प्रकार, जब प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियुक्त की ओर से कोई बेईमान आचरण का आरोप लगाती है, जो यदि सामग्री द्वारा समर्थित है, तो एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करेगा, तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन को रद्द करके अन्वेषण को विफल नहीं किया जाना चाहिए।
>
> 19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन को रद्द करने की याचिका दण्ड प्रक्रिया सं. की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निष्फल नहीं होती है, परन्तु जब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो, विशेष रूप से तब जब अन्वेषण पर कोई रोक नहीं है, तो न्यायालय को यह निर्णय लेने से पहले कि क्या प्रथम सूचना प्रतिवेदन और परिणामी कार्यवाही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को रद्द किया जाना चाहिए, पुलिस रिपोर्ट के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना चाहिए। विशेषकर तब जब प्रथम सूचना प्रतिवेदन किसी ऐसे कृत्य का आरोप लगाती हो जो अभियुक्त के बेईमान आचरण को दर्शाता है।

16. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन मेघ 594** में प्रतिवेदित **एंड्रयू रानी बनाम मेघालय राज्य** के निर्णय के तथ्य भिन्न हैं क्योंकि उक्त निर्णय दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध है तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए कथनों और साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद माननीय खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि पॉक्सो अधिनियम लागू नहीं होता है, जबकि वर्तमान प्रकरण में साक्ष्य का अभी भी विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस प्रकार पीड़िता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 706/2024 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है जिसमें विचारण न्यायालय को आवेदक के विरूद्ध पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप विरचित करने का निर्देश दिया गया है। अभियोजन पक्ष और अभियुक्त यह पता लगाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध लागू होता है या नहीं, जिसका प्रकरण के तथ्यों में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए इस संबंध में साक्ष्य के विश्लेषण के बिना पता नहीं लगाया जा सकता है, ऐसे में बिंदु सं. 2 का उत्तर पीड़िता के पक्ष में है।

18. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 03.08.2024 को आरोप विरचित किए जाने के संबंध में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के निवेदन पर इस न्यायालय द्वारा अभी विचार किया जा रहा है।

19. प्रकरण के अभिलेख के साथ-साथ केस डायरी, अभिलेख के साथ उपलब्ध चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन और अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज किए गए साक्षियों के कथनों में यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी के साथ उसके संबंध के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई और अपीलार्थी ने उसे गर्भपात के लिए दवा दिया। यह तथ्य उन सभी साक्षियों द्वारा कहा गया

है जिनके कथनों की द.प्र.सं. की धारा 164 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की गई है। संबंध, गर्भपात या विवाह के बहाने पीड़िता के माथे पर लगाए गए सिंदूर का साक्ष्य दर्ज किए बिना पता नहीं लगाया जा सकता है, अतः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि पीड़िता सहमत पक्ष है और उनके द्वारा किया गया कृत्य सहमति से किए गए कृत्य के दायरे में आता है और अपीलकर्ता भा.द.वि. की धारा 375 को देखते हुए सुरक्षा पाने का हकदार है, गलत धारणा है और इस तथ्य के साथ अस्वीकार किए जाने के योग्य है कि पॉक्सो अधिनियम लागू होगा या नहीं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वगामी कण्डिका में अभिनिर्धारित किया गया है, अतः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी तर्क, जो अभियुक्त का बचाव हेतु हैं, पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है और अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **धुरवाराम मुरलीधर सोनार, प्रमोद सूर्यभान पवार, मंदार दीपक पवार, और मल्लिकार्जुन देसाई गौड (पूर्वोक्त)** के प्रकरणों के निर्णयों के तथ्य और परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों से भिन्न हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा आरोप को रद्द करने की शक्ति का संबंध है, माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का प्रयोग करते हुए संक्षिप्त विचारण ऐसी पूछताछ जो सुसंगत न हो, नहीं कर सकता है।

21. **राज्य, द्वारा- पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. बनाम उत्तमचंद बोहरा, 2022 (16) एस. सी. सी. 663** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि-

> **<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 और 228 के तहत अधिकारिता का प्रयोग</u>-**
>
> **21. संहिता की धारा 227 और 228 के दायरे के बारे में प्राधिकारों पर विचार करने पर निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः**
>
> (i) न्यायाधीश के पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप विरचित करने के प्रश्न पर विचार करते समय यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य

के लिए साक्ष्य की छान-बीन करने और मूल्यांकन करने की निस्संदेह शक्ति है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण बनाया गया है या नहीं। प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए परीक्षण प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(ii) जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, तो न्यायालय का आरोप विरचित करना और विचारण करना पूरी तरह न्यायसंगत होगा।

(iii) विचारण केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है बल्कि उसे प्रकरण की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्य और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के कुल प्रभाव, किसी भी बुनियादी दुर्बलता आदि पर विचार करना होगा। यद्यपि, इस स्तर पर, दाण्डिक पुनरीक्षण 1313/2024 के पक्ष और विपक्ष में एक घुमावदार जांच नहीं हो सकती है और साक्ष्यों को तौला नहीं जा सकता है जैसे कि वह एक विचारण कर रहा हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) यदि अभिलेख की सामग्री के आधार पर, न्यायालय यह मत बना सकती है कि अभियुक्त ने अपराध किया होगा तो वह आरोप विरचित कर सकती है, यद्यपि दोषसिद्धि के लिए निष्कर्ष को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

(v) आरोप विरचित करने के समय, अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में नहीं जाया जा सकता है, परन्तु आरोप विरचित करने से पहले न्यायालय को अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री पर अपना न्यायिक दिमाग लगाना चाहिए और इस बात पर संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया जाना संभव था।

(vi) धारा 227 और 228 के स्तर पर, न्यायालय को यह पता लगाने के लिए

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उनसे उनके अंकित मूल्य पर सामने आने वाले तथ्य कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्य की छान-बीन करें क्योंकि उस प्रारंभिक स्तर में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष जो कुछ भी सुसमाचार सत्य के रूप में बताता है उसे स्वीकार किया जाए, भले ही वह सामान्य मति या प्रकरण की व्यापक संभावनाओं के विरुद्ध हो।

(vii) यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जो गंभीर नहीं है, तो विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोपमुक्त उन्मुक्त करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर, उसे यह नहीं देखना है कि विचारण दोषसिद्धि में समाप्त होगा या दोषमुक्ति में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.2. गुजरात राज्य बनाम दिलीपसिंह किशोर सिंह राव, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1294 के प्रकरण में अपने निर्णय की कण्डिका-12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि-

"12. आरोप विरचित करने के चरण में प्राथमिक विचार एक प्रथम दृष्टया प्रकरण के अस्तित्व का परीक्षण है, और इस स्तर पर, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के संभावित मूल्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा (1996) 4 एस. सी. सी. 659 और एम. पी. बनाम मोहन लाल सोनी (2000) 6 एस. सी. सी. 338 में अपने पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि आरोप विरचित करने के स्तर में दाण्डिक पुनरीक्षण 1313/2024 द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की प्रकृति प्रथम दृष्टया प्रकरण के अस्तित्व का परीक्षण करना है। यह आरोप विरचित करने के स्तर में भी अभिनिर्धारित किया जाता है कि न्यायालय को

कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के लिए एक अनुमानित मत बनानी होती है और यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के संभावित मूल्य में गहराई से जाए और यह जांच करे कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री निश्चित रूप से विचारण के समापन पर दोषसिद्धि का कारण बनेगी।"

10. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम शिव स्तर बंसल व अन्य, 2020 (2) एस. सी. सी. 290 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आरोप विरचित करने के स्तर में, विचारण न्यायालय को साक्ष्य की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने या बारीकी से उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है और यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्यों को छानने और तौलने की शक्ति है कि विचारण करने के लिए अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान प्रकरण में, राम कुमार मीरी, अनावेदक-2/प्रत्यर्थी-2 द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई है, जिसे पीड़ित ने घटना की सूचना दी है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके हाथों और मुक्कों से हमला किया है, जिससे उसके शरीर पर चोटें आई हैं।चिकित्सक, जिन्होंने उनकी चिकित्सकीय जांच की, उनके शरीर पर कई चोटें पाई हैं, और उन्हें सिर के एन. सी. सी. टी., ई. एन. टी. मत और उनके दाहिने हाथ के एक्स-रे की सलाह दी है। उन्होंने उसके शरीर पर तीन घाव, तीन खरोंच और सूजन पाए। सीटी स्कैन रिपोर्ट में चिकित्सक को दाहिने नाक की हड्डी का रैखिक फ्रैक्चर मिला है, दाहिने हाथ की एक्स-रे रिपोर्ट में दाहिने अंगूठे के प्रोक्सिमल फालेंक्स का फ्रैक्चर भी पाया गया है। यद्यपि चिकित्सक ने राय दी है कि उक्त चोटों से मृत्यु संभव नहीं हो सकती है, परन्तु भा.द.वि. की धारा 307 के अपराध के लिए, केवल आशय को

कुछ स्पष्ट कृत्य के साथ देखा जाना चाहिए, न कि चोटों की प्रकृति को। इसके अलावा, साक्षियों के कथनों और याचिकाकर्ताओं द्वारा पीड़ित पर हमला करने के तरीके से भी, विद्वान विचारण न्यायालय ने इसे भा.द.वि. की धारा 307 के तहत आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त माना, जिसमें भा.द.वि. के अन्य अपराध भी सम्मिलित हैं, जो इस न्यायालय के मत में, दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है, और आवेदकों के विरूद्ध आरोप विरचित करने के विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं पाता है। विद्वान विचारण न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार है और उसी के साथ आगे बढ़ने के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत प्रस्तुत आवेदकों के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे न तो विकृत कहा जा सकता है, न ही प्रकरण के तथ्यों के विपरीत जो बी. एन. एस. एस. अधिनियम, 2023 की धारा 438 और 442 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी कथित घटना के समय किशोरवय था, अतः उसका किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत किशोर के रूप में विचारण किया जाना चाहिए था। यह अभिवाक् अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है और यहां तक कि इस अभिवाक् की भी अधिनियम के तहत विचार के अनुसार जांच की आवश्यकता है, अतः अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा अभिवाक् करने के लिए स्वतंत्र है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार विचारण और निर्णयन किया जाएगा।

23. प्रथम सूचना प्रतिवेदन की सामग्री और पुलिस द्वारा अभिलिखित पीड़िता के कथन के परिशीलन से तथा माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए तथ्यों पर विवार करने से, अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचिज करने का प्रथम दृष्टया

प्रकरण बनता है और अपीलार्थी के विरूद्ध ठोस संदेह होता है। आरोप सही हैं या गलत, इसका निर्णय विचारण के दौरान करना होगा। पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय शिकायत में आरोपों की शुद्धता की जांच नहीं कर सकता है, सिवाय असाधारण विरल प्रकरणों के जिनमें यह स्पष्ट है कि आरोप तुच्छ हैं या किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।

24. पूर्वगामी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, मैं विद्वान विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण), रायगढ़ द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 376 (2) (ढ), 506 भाग II और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(फ), 3(1)(द) के तहत अपराध कारित करने के लिए आरोप विरचित करने वाले आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाता हूँ। तदानुसार, बिंदु सं. 1 का उत्तर अपीलार्थी मनोज कुमार अग्रवाल के विरूद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, दाण्डिक पुनरीक्षण सं. 706/2024 स्वीकार की जाती है और दाण्डिक अपील सं. 1589/2024 को खारिज किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण न्यायालय गुण के आधार पर और उसके समक्ष अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना विचारण का निर्णयन करेगा।

सही/-

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur